



इकाई- 3
Unit - 3

अध्याय- 4

न्यायपालिका
Judiciary

**CLASS
VIIIth
(Polity)**

**NCERT
Based**




By : Karan Sir

इकाई - 3

अध्याय- 4

न्यायपालिका



कार्यपालिका
Executive

fact

सरकार



विधायिका
Legislature

Parliament

LS

RS




Judiciary

न्यायपालिका

Integrated

एकीकृत



124 - 147


214 - 232

233 - 237

अधीनस्थ

न्यायपालिका

अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती






Judiciary

A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that

है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। 'स्वतंत्र न्यायपालिका' का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे।

consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. What does an 'independent judiciary' mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answers to these questions.



जिजा

Judge

↓
न्यायधीश

✓ (जिजा चापलय)
District Court

≡ जिजा

∞



Justice

न्यायभूति

H.C

S.C

⊙



न्यायपालिका की क्या भूमिका है?

अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को पिटाई नहाना करना चाहिए वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं; वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-

विवादों का निपटारा - न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है।

SC ✓
HL
LC

What is the Role of the Judiciary?


Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following:

Dispute Resolution: The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens, between citizens and the government, between two state governments and between the centre and state governments.

न्यायिक समीक्षा - संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।

Constitution - व्याख्या - Explain

Judicial Review: As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review.



कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन- अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।

SC = 32

HC = 226

Upholding the Law and Enforcing Fundamental Rights:
Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their Fundamental Rights have been violated.

इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ़ इंडिया (1937-49) की भाँति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ़ प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया।

The Supreme Court was established on 26 January 1950, the day India became a Republic. Like its predecessor, the Federal Court of India (1937–1949), it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958.



भारत का सर्वोच्च न्यायालय
<https://www.sci.gov.in>

R=7 Judiciary ⇒ 400

फ्या 2 -

किस - प्रकार - वॉल्यूम
प्रीकृत

Role

जानें
Indp

Judicial Review
न्यायिक पुर्वालोक

Dispute-Resolution
विवादों का निपटारा

F.R = रक्षा

अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए -

विवाद की किस्म	उदाहरण
केंद्र और राज्य के बीच विवाद <u>Centr-State</u>	SC
दो राज्यों के बीच विवाद <u>State-State</u>	SC
दो नागरिकों के बीच विवाद <u>→</u>	LC, HC, SC
ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं <u>————</u>	<u>SC, HC</u>

With the help of your teacher, fill in the blank spaces in the table below.

Type of Dispute	Example
Dispute between centre and the state	
Dispute between two states	
Dispute between two citizens	
Laws that are in violation of the Constitution	


स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है?

कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है।



What is an Independent Judiciary?

Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician.



क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों?

X (In)

Do you think that any ordinary citizen stands a chance against a politician in this kind of judicial system? Why not?

नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहाँ अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलअंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है।

Justice

The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favour of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary.


↓

①

इस स्वतंत्रता का एक पहलू है 'शक्तियों का बँटवारा'। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएँ न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकतीं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं। न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं।

One aspect of this independence is the 'separation of powers'. This, as you read in Chapter 1, is a key feature of the Constitution. What this means here is that other branches of government – the legislature and the executive – cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf.


MLA



सरकार

CM

DOM



शक्तियों के इस बँटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है।

For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge.

50


कार्यपालिका
Executive
PM

Legislature

Judiciary

SC
HC

Judges



न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है।

It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the Fundamental Rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated.



भारत में अदालतों की संरचना कैसी है?

हमारे देश में तीन अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बँटा होता है और हर

What is the Structure of Courts in India?

There are three different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. These are usually at the district or Tehsil level or in towns and they hear many kinds of cases. Each state is

ज़िले में एक ज़िला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊँची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नयी दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं।



सतत विकास लक्ष्य 16:

शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएँ

www.in.undp.org

divided into districts that are presided over by a District Judge. Each state has a High Court which is the highest court of that state. At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India.




Sustainable Development Goal (SDG)

www.in.undp.org

Apex

के देश

S.C सर्वोच्च न्यायालय




TOP

Subordinate न्यायालय


जिला न्या.

तहसील Tehsil

निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्र को भरें।



The structure of the courts from the lower to the highest level is such that it resembles a pyramid. Having read the description above, can you fill out which type of courts would exist at what level in the following diagram?




उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश (अमरावती) और तेलंगाणा (हैदराबाद) में अलग-अलग उच्च न्यायालय हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खण्डपीठ (बेंच) भी हैं।

High Courts were first established in the three Presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862. The High Court of Delhi came up in 1966. Currently there are 25 High Courts. While many states have their own High Courts, Punjab and Haryana share a common High Court at Chandigarh, and four North Eastern states of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh have a common High Court at Guwahati. Andhra Pradesh (Amaravati) and Telangana (Hyderabad) have separate High Courts from 1 January 2019. Some High Courts have benches in other parts of the state for greater accessibility.



मद्रास उच्च न्यायालय

<http://www.hcmadras.tn.nic.in>



HC - उच्च न्यायालय

1861 Act

↓
Indian
Court

1862 HC (3)

कलकत्ता

मुंबई

मद्रास

प्रयागराज


1866

=

इलाहाबाद

क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है।

Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just.



अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया।

Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case, *State (Delhi Administration) vs Laxman Kumar and Others (1985)*, from the lower courts to the Supreme Court.




पटना उच्च न्यायालय

<http://patnahighcourt.gov.in>

सक्रिय

कुच



1980 के फ़रवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीया सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहाँ लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई वह जली हुई थी। सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो चार पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया

In February 1980, Laxman Kumar married 20-year-old Sudha Goel and they lived in a flat in Delhi with Laxman's brothers and their families. On 2 December 1980 Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the Trial Court, four of her neighbours were called in as witnesses. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into



कर्नाटक उच्च न्यायालय

<http://karnatakajudiciary.kar.nic.in>

था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कम्बल में लपेटकर आग बुझाई सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा

Laxman's flat. There they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Laxman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and a neighbour stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. As

कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी माँग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा दूध गरम कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चन्द्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई।

part of their defence, Laxman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidence, the Trial Court convicted Laxman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subash Chandra and sentenced all three of them to death.

1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फ़ैसले के खिलाफ़ उच्च न्यायालय में **अपील** दायर कर दी। दोनों तरफ़ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फ़ैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चन्द्र, तीनों को **बरी** कर दिया।

In November 1983, the three accused went to the High Court **to appeal** against this verdict of the Trial Court. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Laxman, Shakuntala and Subash Chandra were **acquitted**.



गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अइज़ोल (मिज़ोरम) बेंच
<http://ghcazlbench.nic.in>

शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र-निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन 'दहेज हत्याओं' के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने-प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील 'इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वीमेन लॉयर्स' नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी।

You may remember the photo essay on the women's movement in your Class VII book. You read about how, in the 1980s, women's groups across the country spoke out against 'dowry deaths'. They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers.

उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद दो वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं।

Write two sentences of what you understand about the appellate system from the given case.

1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फ़ैसले के खिलाफ़ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फ़ैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फ़ैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चन्द्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।


In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Laxman and the two members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Laxman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life.



नामची, दक्षिण सिक्किम में ज़िला अदालत
<http://districtcourtsnamchi.nic.in>

अधीनस्थ अदालतों को कई अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या ज़िला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है।

The subordinate court is more commonly known by many different names. These include the Trial Court or the Court of the District Judge, the Additional Sessions Judge, Chief Judicial Magistrate, Metropolitan Magistrate, Civil Judge.





विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ कौन सी हैं?

दहज हत्या का यह मामला 'समाज के विरुद्ध अपराध' की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक/फ़ौजदारी कानून का उल्लंघन है। फ़ौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फ़ौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें।

What are the Different Branches of the Legal System?

The above case of the dowry death falls within what is considered a 'crime against society' and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in Chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law.



क्र.	फौजदारी कानून	दीवानी कानून ^{व्यक्ति}
1.	ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि।	इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद।
2.	इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है।	प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराये से संबंधित है तो मकान मालिक या किरायेदार मुकदमा दायर कर सकता है।
3.	अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।	अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किरायेदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए।

No.	Criminal Law	Civil Law
1.	Deals with conduct or acts that the law defines as offences. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder.	Deals with any harm or injury to rights of individuals. For example, disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases.
2.	It usually begins with the lodging of an First Information Report (FIR) with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court.	A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case.
3.	If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined.	The court gives the specific relief asked for. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid.

फ़ौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें-

उल्लंघन का विवरण	कानून की शाखा	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं।		
एक किरायेदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ़ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है।		

Fill in the table given below based on what you have understood about criminal and civil law.


Description of Violation	Branch of Law	Procedure to be Followed
A group of girls are persistently harassed by a group of boys while walking to school.		
A tenant who is being forced to move out files a case in court against the landlord.		


क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है?

सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय माँगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा

Does Everyone Have Access to the Courts?

In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our Fundamental Rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be





जिला

District Court

Session Court
सत्र-चापलय

फौजदारी

Civil Court
दीवानी-चापलय

Civil

सकता है। अदालत की सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना-लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसालफ़ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है।

done. While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी

In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of Public Interest Litigation or PIL to increase access to justice. It allowed any individual or organisation to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated.

प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार (टेलीग्राम) को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था।

The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded labourers from inhuman work conditions; and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete.

क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन (मिड-डे मील) दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें।

Did you know that the mid-day meal that children now receive in government and government-aided schools is because of a PIL? See the photos on the right and read the text below to understand how this came about.



चित्र 1 : वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था।

चित्र 2 : सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूँ चूहों की भेंट चढ़ गया था।

चित्र 3 : इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं हैं। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है।

चित्र 4 : लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के ज़रिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया।

Photo 1. In 2001, the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food.

Photo 2. Meanwhile the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats.

Photo 3. In this situation of 'hunger amidst plenty' an organisation called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental Right to Life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the Right to Food. The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the State had a duty to provide food to all.

Photo 4. It, therefore, directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops, and to provide mid-day meals to children. It also appointed two Food Commissioners to report on the implementation of government schemes.

आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना (मिड-डे मील) सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

For the common person, access to courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the Fundamental Rights of citizens and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the Right to Life to include the Right to Food. They, therefore, ordered the State to take certain steps to provide food for all including the mid-day meal scheme.



लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों/झुग्गी-झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है

However, there are also court judgments that people believe work against the best interests of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments.

ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा।

अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। 'जीवन' का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता।

किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी-बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे-मोटे काम-धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट/पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय) विनियमन अधिनियम, 2014 के बारे में पता करें।

The judgment of the *Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation* established the Right to Livelihood as part of the Right to Life. The following excerpts from the judgment point to the ways in which the judges linked the issue of the Right to Life to that of livelihood:

The sweep of the Right to Life, conferred by Article 21 is wide and far reaching. 'Life' means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example, by the imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law. That is but one aspect of the Right to Life. An equally important facet of that right is the right to livelihood because no person can live without the means of living, that is, the means of livelihood.

That the eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood, is a proposition which does not have to be established in each individual case In the present case that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live. They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of work and to lose the pavement or the slum is to lose the job. The conclusion therefore is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life.

Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation (1985) 3 SCC 545

Find out about the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

जबकि पहले वाले फ़ैसलों (जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फ़ैसला) में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था।

न्याय तक आम लोगों की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि 'इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का क़त्ल।'

While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgments (like the 1985 Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation) had tried to protect the livelihoods of slum dwellers.

Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase 'justice delayed is justice denied' is often used to characterise this extended time period that courts take.



इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड काँस्टेब्युलरी (पी.ए.सी.) के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में, 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। (24 मई 2007 को प्रेस क्लब, लखनऊ में लिया गया फोटो।)



The above photo shows the family members of some of the 43 Muslims of Hashimpura, Meerut, killed on 22 May 1987. These families fought for justice for over 31 years. Due to long delay in the commencement of the trial, the Supreme Court in September 2002 transferred the case from the State of Uttar Pradesh to Delhi. 19 Provincial Armed Constabulary (PAC) men faced criminal prosecution for alleged murder and other offences. By 2007, only three prosecution witnesses had been examined. Finally, the Delhi High Court convicted the accused persons on 31 October 2018. (photo was taken at Press Club, Lucknow, 24 May 2007)

भारत में न्यायधीशों की संख्या

क्रम*	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
क	उच्चतम न्यायालय	34	34	0
ख	उच्च न्यायालय	1,079	655	424
ग	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	22,644	17,509	5,135

* क और ख (1 नवंबर 2019 की स्थिति)

Number of Judges in India

No.*	Name of the Court	Sanctioned strength	Working strength	Vacancies
A	Supreme Court	34	34	0
B	High Courts	1,079	655	424
C	District and Subordinate Courts	22,644	17,509	5,135

* Data in A and B (as on 1 November 2019)

इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिलकुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है।

However, inspite of this there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature as well as in protecting the Fundamental Rights of citizens. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy.

न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा करें।

Discuss the impact of the shortage of judges on the delivery of justice to the litigants.


अभ्यास

1. आप पढ़ चुके हैं कि 'कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना' न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है?
2. अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है?
3. नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें।



Exercises

1. You read that one of the main functions of the judiciary is 'upholding the law and Enforcing Fundamental Rights'. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function?
2. Re-read the list of Fundamental Rights provided in Chapter 1. How do you think the Right to Constitutional Remedies connects to the idea of judicial review?
3. In the following illustration, fill in each tier with the judgments given by the various courts in the Sudha Goel case. Check your responses with others in class.



4. सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए।

(क) आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फ़ैसले से सहमत नहीं थे।

(ख) वे सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के खिलाफ़ उच्च न्यायालय में चले गए।

(ग) अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं।

4. Keeping the Sudha Goel case in mind, tick the sentences that are true and correct the ones that are false.

(a) The accused took the case to the High Court because they were unhappy with the decision of the Trial Court.

(b) They went to the High Court after the Supreme Court had given its decision.

(c) If they do not like the Supreme Court verdict, the accused can go back again to the Trial Court.

5. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी?
 6. ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फ़ैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फ़ैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था?
 7. 'इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का क़त्ल' इस विषय पर एक कहानी बनाइए।
 8. अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए।
-
5. Why do you think the introduction of Public Interest Litigation (PIL) in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all?
 6. Re-read excerpts from the judgment on the *Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation* case. Now write in your own words what the judges meant when they said that the Right to Livelihood was part of the Right to Life.
 7. Write a story around the theme, 'Justice delayed is justice denied'.
 8. Make sentences with each of the glossary words given on the next page.

कोई एहसास नहीं,
हक है अपना

उच्चतम न्यायालय का फैसला

भूख से मौत

जिम्मेदार कौन



सरकार का कर्तव्य :

- प्रत्येक इंसान को रोटी मिले,
- कोई भूखा ना सोये,
- भूख की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- कुपोषण एवं भूख से विन्ती की मृत्यु न हो।

सरकार अपना कर्तव्य न निभाए तो :

अदालत में जवाबदेह होंगे राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक



भूखे पेट भरे गोदाम ! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा !!

राइट टू फूड कैम्पेन

सम्पर्क पत्र, भूख से मुक्ति का अधिकार अभियान
c/o 539, लॉन्गवैट कॉलोनी, अजमेर, रजि. वि. 305001-14
दूरभा./फोन-014-2661118 / 2662147
वेब साइट-www.righttofood.com
ई-मेल-right2food@yahoo.co.in

सहायक सामग्री :-

9. यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है।


इस पोस्टर को पढ़ कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए।

इस पोस्टर में कहा गया है कि “भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा!!” इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिला कर देखिए।

9. The following is a poster made by the Right to Food campaign.

Read this poster and list the duties of the government to uphold the Right to Food.

How does the phrase “Hungry stomachs, overflowing godowns! We will not accept it!!” used in the poster relate to the photo essay on the Right to Food on page 61?



सतत विकास लक्ष्य 2: भूखमरी समाप्त करना
www.in.undp.org



Sustainable Development Goal (SDG)
www.in.undp.org



बरी करना- जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है।

अपील करना- निचली अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है।

मुआवज़ा- किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवज़ा कहा जाता है।

बेदखली- अभी लोग जिस ज़मीन/मकानों में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाएगा।

उल्लंघन- किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा गया है।



Acquit: This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which he/she was tried for by the court.

To Appeal: In the context of this chapter this refers to a petition filed before a higher court to hear a case that has already been decided by a lower court.

Compensation: In the context of this chapter this refers to money given to make amends for an injury or a loss.

Eviction: In the context of this chapter this refers to the removal of persons from land/homes that they are currently living in.

Violation: In the context of this chapter it refers both to the act of breaking a law as well as to the breach or infringement of Fundamental Rights.

धन्यवाद